न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 98 / 2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. गुलाब
2. पून्या
3. रामचन्द्र

पि. नारायण जाति मीना निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज०

... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान विजेन्द्र मीना सहायक कलेक्टर लालसोट जिला दौसा राज०
2. प्रहलाद
3. सीताराम पि० किशना
4. कैलाश
5. जनकी पुत्री किशना –
6. हरिराम पुत्र भौरया
7. कन्हैया पुत्र भौरया

समस्त जाति मीना निवास ग्राम महाराजपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज०

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विद्वान अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लालसोट जिला दौसा के यहां लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी बउनवानी प्रकरण नारायण बनाम किशना वगै० मु० नं० 116 / 2025 जिसमे तारीख 116/2025 पेशी 19–12–2025 नियत है।

उपस्थित : 1. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 से 07 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 04.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी बउनवानी प्रकरण नारायण बनाम किशना वगै० मु० नं० 116 / 2025 विधानसभा क्षेत्र लालसोट को छोडकर किसी भी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश कियागया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सहायक कलक्टर लालसोट से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय उपजिलाधीश महोदय दौसा के समक्ष के समक्ष वादी नारायण द्वारा दिनांक 22-08-1979 को आराजी खसरा नं0 186, 187, 188 व 214 वाकै ग्राम महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित बाबत पेश किया गया है जिसमे न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 08–04–1980 को पेश किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–04–1980 को डिकी फरमा दिया गया। प्रार्थी हरिराम पुत्र भौरया जाति मीना द्वारा दिनांक 01–02–2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी का मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया जो अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय में समक्ष विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 19–12–2025 नियत है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 12–09–2025 को पुनः दर्ज कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर नजदीक तारीख पेशी दिनांक 29–09–2025, 06–10–2025 व 09–10–2025, 13–10–2025, 16–10–2025, 29–10–2025 06–11–2025, 14–11–2025, 27.11.2025, 02.12.2025, 18/12/25, से आगामी पेशी 19–12–2025 नियत की गयी। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24–11–2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र बउनवानी प्रकरण नारायण बनाम् किशना में वादी नारायण व प्रतिवादी किशना की मृत्यु हो गयी तथा उक्त प्रकरण मे पहले कानूनन कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तब पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण की कानूनन बात नही सुनकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 27–11–2025 वास्ते बहस हेतू फरमादी गयी जिसके बाद एक दिन अप्रार्थी हरिराम व उसके परिवारजन विधायक महोदय के साथ पीठासीन अधिकारी के चैम्बर मे बैठ कर वार्तालाप करते हुए मिले तब प्रार्थीगण को शकसुबा हुआ लेकिन अब अप्रार्थी सहायक कलेक्टर लालसोट के चैम्बर मे प्रतिदिन आता है तथा प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली को उसके पक्ष मे निर्णित करने का दबाव बनाता है। सिर्फ अप्रार्थी के कहे अनुसार ही सहायक कलेक्टर महोदय लालसोट विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही बिना प्रार्थीगण को सुने एकतरफा में प्रकरण का निस्तारण करने का अंदेशा प्रार्थीगण को स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ रहा है। उक्त प्रकरण की पत्रावली में प्रार्थना पत्र की पत्रावली मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्रस्तुत करने से आज दिन तक नजदीक नजदीक तारीख पेशियां उक्त प्रकरण में दी जा रही है तथा अप्रार्थी हरिराम ने प्रार्थीगण को ऐलानिंया धमकी दी कि गई कि विधायक महोदय की उपस्थित में पीठासीन अधिकारी से मेरी वार्तालाप हो गयी है तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजुर करवा कर तुम्हारे नाम की भूमि को अपने नाम लगवाकर रहूंगा इसलिए ही पत्रावली मे पीठासीन अधिकारी द्वारा मेरे कहे अनुसार नजदीक नजदीक पेशियां दी जा रही है। इसलिए प्रथम दृष्टया अवलोकन से उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं अप्रार्थी हरिराम के मध्य जालसाजी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण में अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा व प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत करने की दिनांक से 13 बार तारीख पेशीयां नजदीक नजदीक फरमा दी गई है अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण को अविश्वास हुआ है तथा अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण को न्याय की कतई उम्मीद नही है इसलिए उक्त उनवानी प्रकरण को समुचित सुनवाई हेतू अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। न्याय हो रहा है यह होता हुआ दिखना भी चाहिए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतित हो रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय पत्रावली मे मनमानी कार्यवाही करते हुए प्रकरण को अपनी इच्छा अनुसार अप्रार्थी हरिराम व विधायक महोदय से साजकर प्रार्थीगण के विरूद्व करने पर आमादा है इसलिए उक्त उनवानी प्रकरण को समुचित सुनवाई हेतू अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी यही है कि पक्षकारो को जहां से न्याय की उम्मीद नही हो वहां पर सुनवाई [illegible] जाकर पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण [illegible] उनवानी प्रकरण वाद पत्र स्थानान्तरित किया जाना न्याय [illegible] आवश्यक है ताकि प्रकरण में समुचित सुनवाई हो सके अन्यथा न्याय की मनसा ही समाप्त हो जावेगी व प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मंजुर फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लालसोट जिला दौसा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त वाद पत्र उनवानी नारायण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

बनाम किशना वगै0 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमे आगामी तारीख पेशी 19–12–2025 नियत है को अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लालसोट जिला दौसा के न्यायालय से विधानसभा क्षेत्र लालसोट छोडकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 7 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रकरण में विलंब करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर लालसोट पर लगाये गये आरोप निराधार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 7 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्तों आरआरटी 2023 (1)पेज 479, आरआरटी 2022–23(supp) पेज 689 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

5. सहायक कलक्टर लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप मिथ्या एवं निराधार है। पत्रावली में विधि में विहित प्रकिया अनुसार ही कार्यवाही की गई है। उभयपक्ष की उपस्थिति में ही तारीख पेशीया दी गई है। प्रार्थीगण के विरूद्ध पत्रावली में कोई निर्णय भी नहीं हुआ है। पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के दाब दबाव में निर्णय किये जाने के तथ्य निराधार है ना ही पीठासीन अधिकारी की ऐसी दुर्भावाना रही है। पीठासीन अधिकारी का बिना किसी दाब दबाव के मामले के गुणावगुण पर निष्पक्ष रूप से निर्णय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 महिने में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है। इस हेतु खुले न्यायालय में उभयपक्ष की उपस्थिति में ही प्रकरण में तारीख पेशियां दी गई हैं न्यायिक प्रकरणों के संबंध में सुनवाई केवल खुले न्यायालय में ही की जाती है, कार्यालय में नहीं। पीठासीन अधिकारी एक लोक सेवक है जिसके कार्यालय में कोई भी पीडित व्यक्ति आ जा सकता है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी की किसी से भी बातचीत होने के तथ्य झूंठे एवं मनगढन्त है ना ही पीठासीन अधिकारी की ऐसी दुर्भावना रही है। यदि प्रार्थीगण अपने प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहते है तो न्यायालय को आपत्ति नहीं है।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. निर्णय एवं आदेश

- यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण गुलाब, पुण्या एवं रामचन्द्र पुत्रगण नारायण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 श्री विजेन्द्र मीणा, सहायक कलक्टर, लालसोट, जिला दौसा के न्यायालय में लम्बित वाद "उनवानी नारायण बनाम किशना" वाद संख्या 116/2025 (धारा 151 एवं 152 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन) को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई है।

- प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 (पीठासीन अधिकारी) ने इस प्रकरण में अत्यन्त निकट–निकट तिथियाँ दी हैं, जैसेकृ 29.09.2025, 06.10.2025, 09.10.2025, 13.10.2025, 16.10.2025, [illegible].2025, 06.11.2025, 14.11.2025, 27.11.2025 एवं 02.12.2025, जो कि लगभग 13 निकट तिथियाँ हैं। प्रार्थीगण का आरोप है कि अप्रार्थी [illegible] जिसने एक विधायक के माध्यम से पीठासीन अधिकारी [illegible] लिया है। प्रार्थीगण का यह भी कहना है कि पीठासीन अधिकारी एवं अप्रार्थी हरि[illegible] के मध्य मिलीभगत है तथा उन्हें न्याय मिलने की आशा नहीं है, अतः प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- अप्रार्थी संख्या 1 (पीठासीन अधिकारी) ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को प्रत्यावर्तन (रिमांड) करते हुए 3 माह के भीतर निस्तारण का निर्देश दिया था, इसीलिए प्रकरण को शीघ्र निस्तारण हेतु निकट–निकट तिथियाँ दी गई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी स्पष्ट किया कि समस्त कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार खुली अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई है। पीठासीन अधिकारी ने मिलीभगत एवं पक्षपात के समस्त आरोपों को निराधार एवं मनगढ़न्त बताया है तथा कहा है कि वे एक लोक सेवक हैं एवं उनसे कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, किन्तु इससे पक्षपात नहीं होता।

- विवेचना एवं निष्कर्ष : इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परीक्षण किया। स्थानान्तरण की प्रार्थना पर विचार करते समय निम्नलिखित सुस्थापित विधिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :

  i. वाद का स्थानान्तरण एक असाधारण उपचार है, जो केवल तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब पक्षकार यह सिद्ध करे कि सम्बन्धित न्यायालय में निष्पक्ष विचारण की कोई युक्तियुक्त सम्भावना नहीं है।

  ii. पक्षपात या पूर्वाग्रह की आशंका युक्तियुक्त **(Reasonable Apprehension)** होनी चाहिए, न कि मात्र काल्पनिक या अनुमान पर आधारित। "न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए" (Justice must not only be done, but must also be seen to be done) कृ यह सिद्धान्त निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, किन्तु इस सिद्धान्त का प्रयोग मात्र निराधार आरोपों के आधार पर वाद स्थानान्तरित करने हेतु नहीं किया जा सकता।

  iii. यदि प्रत्येक प्रकरण में मात्र पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात का आरोप लगाकर स्थानान्तरण की अनुमति दी जाए, तो यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करेगा तथा न्यायिक प्रशासन में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होगी।

- प्रार्थीगण द्वारा उठाये गये प्रत्येक आधार पर इस न्यायालय के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

(ए) निकट तिथियों के सम्बन्ध में : प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी द्वारा निकट–निकट तिथियाँ दिए जाने को पक्षपात का आधार बनाया है। यह तर्क पूर्णतः निराधार एवं विधि विरुद्ध है। अभिलेख से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को प्रत्यावर्तन करते हुए 3 माह की समयावधि में निस्तारण का स्पष्ट निर्देश दिया था। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य था कि वे उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र प्रकरण का निस्तारण करें। निकट तिथियाँ दिया जाना उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में किया गया न्यायोचित कृत्य है, न कि पक्षपात का प्रमाण। वस्तुतः, शीघ्र न्याय (Speedy Justice) प्रत्येक पक्षकार का मूल अधिकार है, तथा पीठासीन अधिकारी ने इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested

(बी) मिलीभगत एवं प्रभावित करने के आरोप के सम्बन्ध में : प्रार्थीगण ने आरोप लगाया है कि अप्रार्थी हरिराम ने एक विधायक के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को प्रभावित किया है। किन्तु इस गम्भीर आरोप के समर्थन में प्रार्थीगण ने कोई भी ठोस साक्ष्य, दस्तावेज अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की है। न तो किसी

जिला कलेक्टर,दौसा

साक्षी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, न ही किसी प्रकार का पत्राचार अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण। मात्र एक पक्षकार द्वारा कथित रूप से दी गई धमकी, जो स्वयं विवादित तथ्य है, किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात का आधार नहीं बन सकती। यह केवल एक अमूर्त एवं निराधार आक्षेप (ठंसक ।ससमहंजपवद) है जो स्थानान्तरण के लिए पर्याप्त नहीं है।

(सी) कार्यवाही की प्रक्रिया के सम्बन्ध में : अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं अभिलेख से यह स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही खुली अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई है। प्रत्येक तिथि पर दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत अनियमितता या पक्षपात का कोई आधार नहीं बनता। जब कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार खुली अदालत में सम्पन्न हो रही है, तो मात्र असन्तोष अथवा प्रतिकूल आदेश की आशंका, स्थानान्तरण का वैध आधार नहीं हो सकती।

(डी) लोक सेवक से मिलने के सम्बन्ध में : पीठासीन अधिकारी एक लोक सेवक हैं तथा जनता का उनसे मिलना उनके संवैधानिक एवं प्रशासनिक कर्तव्य का अंग है। मात्र इस आधार पर कि कोई पक्षकार पीठासीन अधिकारी से मिला, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पीठासीन अधिकारी प्रभावित हो गए या पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी धारणा न्यायिक अधिकारियों की गरिमा एवं सत्यनिष्ठा पर अनुचित आक्षेप है।

- प्रार्थीगण ने नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धान्त का हवाला दिया है। इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करता है तथा निष्पक्ष विचारण की गारण्टी देता है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में खुली अदालत में सुनवाई हो रही है, तथ्यात्मक एवं विधिक दोनों दृष्टिकोणों से दोनों पक्षों को पूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वस्तुतः, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्र निस्तारण ही नैसर्गिक न्याय की पूर्ति है, न कि प्रकरण का अनावश्यक स्थानान्तरण।
- इस न्यायालय का यह भी मत है कि प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र वस्तुतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रकरण के निस्तारण को विलम्बित करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। यदि इस प्रकार के निराधार आरोपों के आधार पर स्थानान्तरण की अनुमति दी जाए, तो यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना होगी। प्रार्थीगण के पास यदि पीठासीन अधिकारी के किसी आदेश से कोई वैध शिकायत है, तो उनके लिए उचित विधिक उपचार (पुनरीक्षण/अपील) उपलब्ध हैं, किन्तु मात्र अमूर्त आरोपों के आधार पर स्थानान्तरण की माँग न्यायोचित नहीं है।

आदेशात्मक भाग (Operative Part)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचना, अभिलेखीय साक्ष्य एवं विधिक सिद्धान्तों के परीक्षण के पश्चात् यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचा है:

(क) प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात, मिलीभगत अथवा पूर्वाग्रह के सम्बन्ध में कोई ठोस, विश्वसनीय एवं स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) निकट–निकट तिथियाँ दिया जाना माननीय उच्च न्यायालय के 3 माह में निस्तारण के निर्देश की अनुपालना में किया गया वैध न्यायिक कृत्य है, जो किसी भी दृष्टिकोण से पक्षपात का द्योतक नहीं है।

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ग) समस्त कार्यवाही खुली अदालत में विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पूर्ण पालन किया गया है।

(घ) प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र वस्तुतः प्रकरण के शीघ्र निस्तारण को विलम्बित करने एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. आदेश : अतः उपरोक्त समस्त कारणों एवं विवेचना के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रार्थीगण का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सारहीन, निराधार एवं विधिक आधार से रहित है। तद्नुसार, प्रार्थीगण गुलाब, पुण्या एवं रामचन्द्र पुत्रगण नारायण का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज (निरस्त/**Rejected**) किया जाता है।

10. निर्देश :

(क) अप्रार्थी संख्या 1 (सहायक कलक्टर, लालसोट) को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मूल प्रकरण वाद संख्या 116/2025 का विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारण करें।

(ख) दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल प्रकरण में सहयोग प्रदान करें तथा अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न करने से बचें।

(ग) इस आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय (सहायक कलक्टर, लालसोट) एवं दोनों पक्षों को भेजी जावे।

(घ) पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को खुली अदालत में सुनाया एवं घोषित किया गया। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested